बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

–: कार्यालय आदेश :–

अपर श्रमायुक्त, बिहार द्वारा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखण्ड में लाभुकों को विभिन्न योजनाओं में प्रदान किये गये लाभ के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच दिनांक–24.07.2025 को किया गया जिसमें बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 02 (दो) लाभुकों यथा– श्रीमती रीता देवी, पति–सुरेन्द्र भगत एवं श्रीमती रंगीला देवी, पति–उमेश दास से पूछताछ की गई एवं उनका बयान दर्ज किया गया।

2. स्थलीय जॉच से स्पष्ट पाया गया कि श्रीमती रीता देवी को सातवें बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व लाभ प्रदान किया गया। श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर द्वारा न तो निबंधन के समय और न ही मातृत्व लाभ के भुगतान के समय स्थल निरीक्षण किया गया, जबकि BOCW के अन्तर्गत राशि भुगतान होने के पहले यह आवश्यक शर्त थी। दूसरी आवेदिका श्रीमती रंगीला देवी, पति–उमेश दास से संबंधित स्थल निरीक्षण की प्रति मांगे जाने पर श्री सूर्यकान्त कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही अन्य लाभुको के संबंध में भी श्री कुमार द्वारा वांछित जानकारी देने में असमर्थता दिखाई गई।

3. विभागीय पत्रांक–4546 दिनांक–30.07.2025 द्वारा श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित कर बचाव बयान की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–13.07.2025 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया।

4. गठित आरोप पत्र पर श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकारयोग्य नहीं नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

5. श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालन हेतु श्री मनीष कुमार, सहायक श्रमायुक्त, बोर्ड को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. सहायक श्रमायुक्त, बोर्ड–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–242 दिनांक–06.03.2026 द्वारा श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करके अन्तिम जाँच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रथम आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा द्वितीय आरोप को प्रमाणित बताया गया।

7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के प्रावधान के तहत श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक–1673 दिनांक–20.03.2026 द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक–08.04.2026 को उपलब्ध कराया गया।

8. श्री सूर्यकान्त कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के सम्बन्ध में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध **"एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से धारित किए जाने की शास्ति"** अधिरोपित करते हुए संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

Sec-05_Draft-9

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक:– 5/आर०एल०–40–106/2025 श्र०सं०–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

श्रमायुक्त, बिहार।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–106/2025 श्र०सं०– 2562   पटना, दिनांक– 8/5/26

प्रतिलिपि:– उप श्रमायुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/श्री मनीष कुमार, सहायक श्रमायुक्त, बोर्ड–सह–संचालन पदाधिकारी/श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक मुजफ्फरपुर/ श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप श्रमायुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेश है, कि इस आदेश का तामिला श्री सूर्यकान्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मीनापुर, मुजफ्फरपुर को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8/5/26

श्रमायुक्त, बिहार।

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–106/2025 श्र०सं०– 2563   पटना, दिनांक– 8/5/26

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/5/26

अपर श्रमायुक्त, बिहार।